प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.05.2026

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 08 चोरी किए हुए दोपहिया वाहन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 11.05.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को नहर की पटरी, लोधी चौक पर 01 चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर इंदिरापुरम अंडरपास के पास खाली मैदान में झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 05 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें व 02 स्कूटी भी बरामद की गईं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर धारा 303(2), 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों दोपहिया वाहन चुराकर तथा लूट व चोरी करके उन्हें बेचकर अपने शौक-मौज पूरे करते हैं। बरामद वाहनों में से 02 मोटरसाइकिल व 01 स्कूटी गाजीपुर (दिल्ली) से, 01 मोटरसाइकिल खोड़ा (गाजियाबाद) से, 01 मोटरसाइकिल सेक्टर-24 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) से तथा 01 स्कूटी कौशांबी से चोरी की गई थी। आज हम लोग पूर्व में चोरी की गई मोटरसाइकिल व स्कूटी को देखने तथा इस मोटरसाइकिल को खड़ी करके कोई और वाहन चोरी करने की फिराक में जा रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. **शिवम** (उम्र करीब 22 वर्ष) पुत्र स्व. राजकुमार, निवासी: ए-91/13 हरिजन बस्ती, कोंडली, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली। (मूल निवासी: ग्राम बहादपुर नारैया, फर्रुखाबाद, उ.प्र.)।
2. **आकाश उर्फ उत्कर्ष** (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र यदुनाथ सिंह, निवासी: गली नं. 1, राजवीर कॉलोनी, शर्मा डेयरी के पास, थाना गाजीपुर, दिल्ली। (मूल पता: ग्राम जोहरपुर, थाना तिंदवारी, जिला बांदा, उ.प्र.)।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्त शिवम के विरुद्ध दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चोरी व लूट के 11 अभियोग पंजीकृत हैं।
- अभियुक्त आकाश के विरुद्ध थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली में चोरी व लूट के संबंध में 08 अभियोग पंजीकृत हैं।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना खोड़ा पुलिस टीम, गाजियाबाद।

स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा संयुक्त कार्यवाही में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में हुई एटीएम कैशवैन डकैती की घटना का सफल अनावरण/ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 लाख 6 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, अवैध अस्लहा व कुल्हाड़ी बरामद ।

दिनांक- 06.05.2026 को वादी मुकदमा ने थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद पर इण्डिया वन एटीएम में कैश भरनी वाली कैशवैन को एनएच-9 हाईवे पर स्थित एच.पी. पैट्रोल पम्प के सामने से अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग कर कैशवैन कैश सहित लूट लेने के सम्बंध में मु0अ0स0 94/2026 धारा 309 (4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था तथा विवेचना के दौरान कुल 27 लाख रुपये कैशवैन में लूट के दौरान होना बताया गया।

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु 08 टीमों का गठन किया गया। विवेचना के क्रम में सीसीटीवी फुटेज व सर्विलॉस के माध्यम से बलेनो कार, रंग सिल्वर नम्बर- UP16CC1817 व अभियुक्तगण प्रकाश में आये व प्रकाश में आये अभियुक्तों के आधार पर मुकदामा उपरोक्त में डकैती की धारा की बढोत्तरी की गयी। प्रकाश में आये अभियुक्तों पर पुलिस उपायुक्त, नगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 25-25 हजार के ईनाम की घोषणा की गयी।

आज दिनांक 11/05/2026 को स्वाट टीम अपराध शाखा व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चिपयाना अडरपास पर 25 हजार का ईनामी अपराधी मौहम्मद कैफ पुत्र सलीम निवासी डी-134, सेक्टर-11, प्रताप विहार विजयनगर गाजियाबाद को माल मुकदमाती नगदी 3 लाख 36 हजार रुपये तथा घटना में प्रयुक्त बलेनो कार व तमचा व कारतूस व कुल्हाडी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद कैफ के बयान के आधार पर मौहम्मद रिजवान पुत्र आंसू निवासी विजयनगर गाजियाबाद के द्वारा कैशवैन की रैंकी करने व घटना के षडयन्त्र में शामिल होना पाया गया। जिसके उपरान्त मौहम्मद रिजवान को उसके घर विजयनगर से गिरफ्तार किया गया व उसके घर से डकैती की घटना में लूटे गये माल मुकदमाती के 4 लाख 70 हजार रुपये बरामद किये गये ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों नें पूछताछ पर बताया कि उक्त डकैती की घटना में कुल 06 लोग शामिल है जिसमें मौहम्मद रिजवान घटना के षडयन्त्र/ रैंकी में शामिल है। घटना की कैशवैन की रैंकी पिछले 06 माह से की जा रही थी। कई बार कैशवैन का पीछा किया गया लेकिन घटना कारित करने में सफल नही हुए। दिनांक 06.05.2026 को एनएच-09 पर एच0पी0 पैट्रोल पम्प के पास मैं और मेरे अन्य साथी बलेनो कार बिना नम्बर प्लेट से घटना से लगभग 02 घंटे पहले ही आकर कैशवैन का आने का इंतजार करने लगे। कैशवैन के आने पर कैशियर व गनमैन, कैशवैन से उतरकर अन्दर गली में इण्डिया वन के एटीएम पर कैश डालने के लिए गये थे। इसी मौके का फायदा उठाकर ड्राइवर को कैशवैन में अकेला देखकर अपने हाथ में लिए अवैध असलाह से कैशवैन पर फायरिंग कर ड्राइवर को कैशवैन से धक्का देकर उतारकर कैशवैन को मय कैश के लूट कर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मेरठ की ओर भागे थे। बलेनो कार को कैशवैन के पीछे-पीछे मैं चला रहा था। कैशवैन में मेरे अन्य साथी मौजूद थे। योजनानुसार कैशवैन के अन्दर बरामद कुल्हाडी से वैन के अन्दर लगे सभी सीसीटीवी तोडे गये व वैन के अन्दर मौजूद कैश का लॉकर कुल्हाडी से तोडकर कैश व सीसीटीवी का डी.वी.आर. व अन्य समान लेकर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस पर कैशवैन

को छोडकर सभी लोग बलेनो कार में मेरठ की ओर भाग गये थे। घटना के बाद कैश का बटवारा डासना मसूरी स्थित एक मकान में किया गया था। जिसमें मेरे हिस्से में 4 लाख रुपये आये थे व रिजवान के हिस्से में 05 लाख रुपये आये थे व अन्य रुपये अन्य 04 साथियों के हिस्से में आये है। मैने अपने हिस्से के बचे हुए रुपये बरामद करा दिये है बाकी के रुपये खर्च हो गये है। गैंग का मास्टरमाइड जुबैर है जो बलेनो कार का मालिक है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के सम्बंध में अपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1- मौहम्मद कैफ पुत्र सलीम निवासी डी-134, सेक्टर-11, प्रताप विहार थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र -23 वर्ष

2-मौहम्मद रिजवान पुत्र मौहम्मद आंसू निवासी सी-25, वार्ड नं0 8 , माता कालोनी, थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद। उम्र-20 वर्ष

अभियुक्तगणों से बरामदगी का विवरण-

1 घटना में लूटा गया कैश- 8 लाख 6 हजार रुपये।

2- घटना में प्रयुक्त बलेनो कार नम्बर- UP16CC 1817 रंग सिल्वर।

3- घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस।

4- घटना में प्रयुक्त 01 कुल्हाडी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1-स्वॉट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2- स्वॉट टीम, नगर जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3-थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

पुरस्कार- अपर पुलिस आयुक्त, मुख्यालय / अपराध द्वारा टीम के उत्साहवर्धन हेतु 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा रंगदारी मांगने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 14,090/- रुपये बरामद।

घटना का विवरण— दिनांक 10.05.2026 को वादी श्री राकेश रावत पुत्र प्रेम सिंह (निवासी: ई-341, सेक्टर-11, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, गाजियाबाद) द्वारा थाना विजयनगर पर एक प्रार्थना दिया गया, कि अंजलि नाम की एक महिला ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। वहां पहुंचने पर तीन व्यक्तियों ने खुद को अंजलि का चाचा और भाई बताकर वादी के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी और 04 लाख रुपये की अवैध रंगदारी की मांग की। आरोपियों ने डरा-धमका कर वादी से 49,000/- रुपये ऑनलाइन और 30,000/- रुपये नकद ले लिए। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना विजयनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण– घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की गई। आज दिनांक 11.05.2026 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को सीएसएचपी (CSHP) स्कूल के आगे फ्लाईओवर के नीचे, प्रताप विहार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. **विशाल** पुत्र पवन, निवासी: गली नं. 07, आश्रम कॉलोनी, सावेरी, थाना बिसरख, जनपद गौतमबुद्धनगर (उम्र 21 वर्ष)।
2. **अनिल** पुत्र नेपाल सिंह, निवासी: सीटीपुर, थाना जारचा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उम्र 34 वर्ष)।
3. **प्रदीप** पुत्र वीर सिंह, निवासी: आकलपुर, थाना बादलपुर, जनपद गौतमबुद्धनगर (उम्र 34 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण:-

1. 14,090/- रुपये (नकद)।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हमने अंजलि की मदद से राकेश नाम के व्यक्ति को बुलाया था। जब वह व्यक्ति अंजलि के साथ मौजूद था, तब हम तीनों भी वहां पहुंच गए। हमने खुद को अंजलि का चाचा व भाई बताकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर उससे 04 लाख रुपये की मांग की। डरा-धमका कर हमने राकेश से 49,000/- रुपये फोन-पे (PhonePe) के माध्यम से और 30,000/- रुपये नकद ले लिए थे। बाकी रुपये आज देने के लिए कहा गया था, जिसे लेने के लिए हम आज फ्लाईओवर के नीचे खड़े थे कि तभी पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल,02 जिंदा कारतूस व एक होंडा अमेज कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 10.05.2026 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण (प्रशान्त और आशीष) को लालकुआं चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध देशी पिस्टल (.32 बोर) व 02 जिंदा कारतूस तथा एक होंडा अमेज कार बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों अभियुक्त पिछले कई सालों से दोस्त हैं। बरामद अवैध पिस्टल के संबंध में उन्होंने बताया कि यह पिस्टल अभियुक्त प्रशान्त ने अपने चाचा के बेटे रजत से ली थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:

1. **प्रशान्त** पुत्र रामकुमार सिंह, निवासी: मकान नं. 244/1, संगम विहार, रोहटा रोड, बिजली घर के सामने, खड़ौली, थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ। (उम्र करीब 37 वर्ष)
2. **आशीष** पुत्र उदयवीर, निवासी: मकान नं. 159, ग्राम चौबाला, पोस्ट नेक, थाना जानी, जिला मेरठ। (उम्र करीब 29 वर्ष)

आपराधिक इतिहास:

- गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त व आशीष उपरोक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:

1. 01 अवैध देशी पिस्टल (.32 बोर) व 02 जिंदा कारतूस।
2. एक होंडा अमेज कार (रंग डार्क ग्रे, रजिस्ट्रेशन नंबर: UK 07 BE 2562)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।